राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .509/2017...जिला...........जयपुर...

उनवान – मैसर्स एफ.जी. एण्ड कम्पनी, दिल्ली बनाम 1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर। 2. अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम, वा.क., जयपुर।

<table>
<tr><th>तारीख हुक्म</th><th>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</th><th>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</th></tr>
<tr><td>24.03.2017</td><td>
<u>खण्डपीठ</u>
<u>श्री मदन लाल, सदस्य</u>
<u>श्री के.एल.जैन, सदस्य</u>
अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री एस.के.जैन एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।
यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 14,19,292/– की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है ।
उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।
विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी राजस्थान राज्य के बाहर, दिल्ली में पंजीकृत व्यवहारी है। उसके द्वारा पान मसाला व गुटखा का परिवहन गुजरात राज्य में पंजीकृत व्यवहारी मै. जे.के.एन्टरप्राईजेज, बडोदरा को किया गया है। अपीलार्थी द्वारा समस्त दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। माल का गमनागमन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिये, विधिक एवं सही दस्तावेजों से हुआ है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि 14,19,292/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।
विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।
उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में विवादित राशि रूपये 14,19,292/– की वसूली कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्तो का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।
आदेश प्रसारित किया गया।

(के.एल.जैन) सदस्य   (मदन लाल) सदस्य
</td><td></td></tr>
</table>